क्रम-संख्या–130 (ख)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०/91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 4 अगस्त, 2021

श्रावण 13, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग–2

———

संख्या 707/ग्यारह–2–21–9(47)-17-उ0प्र0अधि0–1–2017-आदेश-(197)-2021
लखनऊ, 4 अगस्त, 2021

———

अधिसूचना

प0आ0–277

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्, 2017) (जिसे आगे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा अधिसूचना सं0 क0नि0–2-177/ग्यारह–9(47)-17-उ0प्र0अधि0–1–2017-आदेश-(03)-2019, दिनांक 22 जनवरी, 2019 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना में,–

(i) आंठवे परंतुक में, तारीख 20 मई, 2021 से, सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रख दी जायेगी, अर्थात :-

''सारणी

क्रम संख्या	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	कर अवधि	अवधि जिसके लिये विलंब फीस अधित्यक्त की गयी
1	2	3	4
1	करदाता जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रूपये से अधिक हो	मार्च, 2021, अप्रैल, 2021 और मई, 2021	विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से पंद्रह दिन तक

1	2	3	4
2	करदाता जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रूपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विवरणी प्रस्तुत करने के लिये दायी हैं	मार्च, 2021	विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से साठ दिन तक
		अप्रैल, 2021	विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से पैंतालीस दिन तक
		मई, 2021	विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीस दिन तक
3	करदाता जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रूपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विवरणी प्रस्तुत करने के लिये दायी हैं	जनवरी–मार्च, 2021	विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से साठ दिन तक''।

(ii) आंठवे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात :-

''परंतु यह भी की उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो नियत तारीख तक माह/तिमाही जुलाई 2017 से अप्रैल, 2021 तक के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं'' लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जून, 2021 से 31 अगस्त, 2021 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन विलम्ब शुल्क की कुल धनराशि अधित्यक्त की जायेगी जो पाँच सौ रूपये से अधिक है:

परंतु यह भी की यदि उक्त विवरणी में संदेय राज्य कर की कुल धनराशि शून्य है तो उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन विलम्ब शुल्क की कुल धनराशि अधित्यक्त की जायेगी जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिये दो सौ पचास रूपये से अधिक की है और जो नियत तारीख तक माह/त्रिमास जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जून, 2021 से 31 अगस्त, 2021 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते हैं:

परंतु यह भी की उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो की निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि और जो नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन जून, 2021 की कर अवधि से या जून 2021 को खतम तिमाही की दर अवधि से, जैसी भी स्थिति हो, देय विलंब फीस की कुल धनराशि, जो निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट धनराशि से अधिक है, अधित्यजन किया जाता है, अर्थात् :–

''सारणी

क्रम संख्या	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	धनराशि
1	2	3
1	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनकी उक्त विवरणी में संदेय राज्य कर की धनराशि शून्य है	दो सौ पचास रूपये
2	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रूपये तक हो, और जो क्रम संख्या (1) के अंतर्गत आने वाले से भिन्न हो	एक हजार रूपये
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ से अधिक हो और 5 करोड़ से कम हो, और जो क्रम संख्या (1) के अंतर्गत आने वाले से भिन्न हो	दो हजार पांच सौ रूपये''

आज्ञा से,

संजीव मित्तल,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 707 / XI–2–21–9(47)-17-U.P.Act-1–2017-Order-(197)-2021, dated August 4, 2021 :

No. 707 / XI–2–21–9(47)-17-U.P.Act-1–2017-Order-(197)-2021

Dated Lucknow, August 4, 2021

IN exercise of the powers conferred by section 128 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification no. KA.NI.-2-177/XI-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order-(03)-2019, dated January 22, 2019 namely :-

In the said notification,-

(i) in the eighth proviso, with effect from the 20th day of May, 2021 *for* the Table, the following Table shall be *substituted, namely* :–

"TABLE

SL. no.	Class of registered persons	Tax period	Period for which late fee waived
1	2	3	4
1	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	March, 2021, April, 2021 and May, 2021	Fifteen days from the due date of furnishing return
2	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section (1) of section 39	March, 2021	Sixty days from the due date of furnishing return
		April, 2021	Forty-five days from the due date of furnishing return
		May, 2021	Thirty days from the due date of furnishing return
3	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (1) of section 39	January- March, 2021	Sixty days from the due date of furnishing return."

(ii) *after* the eighth proviso, the following provisos shall be *inserted, namely* :–

"Provided also that for the registered person who failed to furnish the return in FORM GSTR-3B for the months/quarter of July, 2017 to April, 2021, by the due date but furnish the said return between the period from the 1st day of June, 2021 to the 31st day of August, 2021, the total amount of late fee under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of five hundred rupees:

Provided also that where the total amount of state tax payable in the said return is nil, the total amount of late fee under section 47 of the said Act shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees for the registered persons who failed to furnish the return in FORM GSTR-3B for the months/quarter of July, 2017 to April, 2021, by the due date but furnish the said return between the period from the 1st day of June, 2021 to the 31st day of August, 2021:

Provided also that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act for the tax period June, 2021 onwards or quarter ending June, 2021 onwards, as the case may be, shall stand waived which is in excess of an amount as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered person mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who fail to furnish the return in FORM GSTR-3B by the due date, *namely* :-

"TABLE

Sl. no.	Class of registered persons	Amount
1	2	3
1	Registered person whose total amount of state tax payable in the said return is nil	Two hundred and fifty rupees
2	Registered person having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year, other than those covered under Sl. no. 1	One thousand rupees
3	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees 5 crores in the preceding financial year, other than those covered under Sl. no. 1	Two thousand and five hundred rupees".

By order,
SANJIV MITTAL,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 247 राजपत्र–2021–(564)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 23 सा0 राज्य कर–2021–(565)–1000 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।